न्याय आपके द्वार अभियान केम्प कोर्ट कनवास न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास

मि0न0: 3/2016

राधेश्याम आत्मज केदारलाल आयु 60 वर्ष जाति ब्राहाण निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)

– वादी

बनाम

1– मदनलाल आत्मज केदारलाल जाति ब्राहाण ।

2– विकास आत्मज मदनलाल जाति ब्राहाण निवासीगण कनवास।

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास ।

– प्रतिवादीगण

<u>वाद अर्न्तगत धारा इन्द्राज दुरस्ती नक्शा ट्रैस एवं स्थाई निषेघाज्ञा अ0धा0 88,89, आरटीएक्ट</u>

वादी द्वारा एक वाद अ0घा0 88,89,आटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 सगें भाई है जो स्वर्गीय केदारलाल की संतान है। जिनके खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कनवास तहसील कनवास मे स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता का र्स्वगवास के पश्चात उनके खाते एवं कब्जें काश्त की आराजी में माल ग्राम कनवास की ख.न. 1905 की 24 बीधा 6 बिस्वा गोरा का चौक वाली आराजी में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के आपसी राजीनामें के आधार पर वादी के 12 बीधा पश्चिम दिशा की व प्रतिवादी कम 1 के 12 बीधा पूर्व दिशा की आराजी मुताबिक राजस्व रेकार्ड खाते दर्ज हुई तथा खसरा नं. 1905 में स्थित गैर मु.चाह वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के संयुक्त रूप से दर्ज हुआ। उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी कम 1 अपने हिस्सें की आराजी पर निरन्तर काबिज है। वादी एवं प्रतिवादी कम.1 के पारिवारिक विभाजन में राजीनामा के आधार पर प्राप्त आराजी के गत ख.न. 1905 गौरा का चौक का कुल रकबा 24 बीधा 6 बिस्वा एक चक था जिसके सेटलमेन्टके बाद वादी के कब्जे काश्त की आराजी के वर्तमान ख.न. 1868/2287 की 1.94 है0 एवं प्रतिवादी कम 1 के ख.न. 1868 की रकबा 1.84 है0 व प्रतिवादी कम 2 के

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिलाकोटा(राज0)

ख.न. 1868/1 की रकबा 0.10 है0 आराजी पृथक से खाते दर्ज हो चुकी है। तथा ख.न. 1868/2288 की रकबा 0.05 है. आराजी गै.मु. चाह वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 काश्त करते चले आ रहे हैं ।

वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 वक्त विभाजन से ही अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पश्चित दिशा व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने हिस्सें की आराजी ख.न. 1868 की 1.84 है0 व ख.न. 1868 की 0.10 है0 पूर्व दिशा पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करतें आ रहे है। परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारीयो ने वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 को बिना सूचना दिये अपने खाते की आराजी को वर्तमान नक्शा ट्रैस में गलत दिशा में अंकित कर दिया है मौके पर वादी पश्चित दिशा में व प्रतिवादी क्रम. 1 व 2 पूर्व दिशा में काबिज होते हुए भी वर्तमान नक्शा ट्रैस में वादी को उत्तर दिशा में व प्रतिवादी क्रम 1 को दक्षिण दिशा में आराजी इंगित कर दी हैं। जिसको वादी इन्द्राज दुरस्ती के द्वारा दुरस्त करवा कर वर्तमान नक्शा ट्रैस मे दुरस्त किये जाने की सादिर डिक्री प्रदान की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने उपस्थित होकर वाद की सभी मदो को स्वीकारते हुए जवाब पेश किया । प्रतिवादीगण 3 सरकार की ओर से तहसील कनवास द्वारा जवाब पेश करतें हुए अवगत करवाया कि पक्षकारान् के मध्य दावा में वर्णित भूमि मे दिशा परिर्वतन होने पर कोई राजहित प्रभावित नही होता हैं। वाद न्याय आपके द्वार अभियान केम्प कोर्ट कनवास में पेश हुई ।

वाद में प्रस्तुत रेकार्ड व जवाब इत्याद्वि का अवलोकन किया गया। वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ख.न. 1868/ 2287 की 1.94 है0 को उत्तर दिशा के स्थान पर पश्चिम दिशा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी ख.न. 1868 की 1.84 है0 व प्रतिवादी क्रम 2 की आराजी 1868/1 की 0.10 है0 को दक्षिण दिशा के स्थान पर पूर्व दिशा में नक्शा ट्रैस मे दुरस्त किये जाने की सादिर डिक्री मुर्तिब की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा(राज०)
सांगोद

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

राधेश्याम पुत्र केदारलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कनवास तहसील कनवास।

बनाम

1 मदनलाल पुत्र केदारलाल जाति ब्राहम्ण।
2 विकास पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।
3 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा इन्द्राज दुरस्ती नक्शा ट्रैस एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ0धा 88,789 आर. टी.एक्ट

मुकदमा नं. 03/16 सन 2016 तारीख फैसला 11.5.2016 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 03 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है कि वादी को ग्राम कनवास के खसरा नंबर 1868/2287 की रकबा 1.94 है0, को उत्तर दिशा के स्थान पर पश्चिम दिशा तथा प्रतिवादी नंबर 01 की आराजी खसरा नंबर 1868 की 1.84 है,0 व प्रतिवादी क्रम 02 की आराजी 1868/1 की 0.10 है0, को दक्षिण दिशा के स्थान पर पूर्व दिशा में नक्शा ट्रैस दुरस्त किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में आमल दरामद किया जावे । तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह .. X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/08/2016 माह अगस्त 2016 को जारी की गई।

मोहर ....

(श्री कैलाश चंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	------NIL------	
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(श्री कैलाश चंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा